न्यायालय सहायक कलक्टर (ACEM), नाथद्वारा, जिला–राजसमंद

(पीठासीन अधिकारी :– रक्षा पारिक, R.A.S.)

प्रकरण संख्या:– 2023/34 राजस्व वाद निर्णय दिनांक– 08.09.2025

अनवान

1. मकबुल खां पिता सरदार खां, जाति मुसलमान, उम्र वयस्क, निवासी देलवाडा, तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद के पावर ऑफ एटॉनी होल्डर शकीला पत्नी मकबुल खां, जाति मुसलमान, उम्र वयस्क, निवासी– देलवाडा, तहसील नाथद्वारा हाल तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद।

..... प्रार्थी

बनाम

1. प्यारी बाई पत्नी धुला जी, जाति राजपुत, आयु वयस्क, निवासी तरपाल, पंचयत सुवावतों का गुडा, तरपाल।
2. कालुसिंह पिता धुला जी, जाति राजपुत, आयु वयस्क, निवासी तरपाल, पंचयत सुवावतों का गुडा, तरपाल।
3. हमेरसिंह पिता धुला जी, जाति राजपुत, आयु वयस्क, निवासी तरपाल, पंचयत सुवावतों का गुडा, तरपाल।
4. मोडा पिता सवा जी, जाति राजपुत, आयु वयस्क, निवासी घासा, गांव हरा, तहसील मावली, जिला उदयपुर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय, नाथद्वारा हाल तहसील देलवाडा।
6. उपपंजीयन अधिकारी पंजीयन कार्यालय,नाथद्वारा हाल तहसील देलवाडा।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट एवं आदेश 39 नियम 1 व 2

सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी

उपस्थितः–

1. अधिवक्ता श्री गजेन्द्र टांक, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. अधिवक्ता श्री सुभाष गाडरी, अधिवक्ता विपक्षीगण 1 से 3।
3. विपक्षी संख्या 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से कार्यवाही एक–तरफा।
3. विपक्षी संख्या 5,6 की ओर से पैरोकार सरकार।

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने आप न्यायालय में उक्त अनवान का वाद पत्र स्थाई निषेधाज्ञा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का विपक्षी/प्रतिवादीगण के विरूद्व पेश कर दिया है जो सही एवं सुदृढ आधारों पर होने से प्रार्थी को पूर्ण उम्मीद है कि उन्हें उसमें सफलता प्राप्त होगी। यह कि स्थान गांव सियोल, पटवार सर्कल देलवाडा, तहसील नाथद्वारा हाल तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद में निम्न विवरण की कृषि भूमियां स्थित है जिनका विवरण निम्न प्रकार है–

आराजी संख्या 136,140 कुल किता 2 कुल रकबा 00–10

उक्त कृषि भूमियां केसा पिता श्री जगटींक, धुला, मोडा, रोडा पिता श्री सवा जी राजपुत को बेचने करने के पश्चात् प्रार्थी के आधिपत्य में चली आ रही है तथा प्रार्थी ही उक्त जमीन को कमा खा रहे है। उक्त " वसियत के बजाय बक्शीश (दान) " के समय से ही उक्त कृषि भुमियां वादी के ससुर एवं उनकी मृत्यु के पश्चात् प्रार्थी के आधिपत्य में चली आ रही है तथा वादी ही उक्त जमीन को कमा खा रहे है। विपक्षीगण का नाम उक्त कृषि भूमि पर आधिपत्य प्रार्थी का ही

सहायक कलक्टर
नाथद्वारा, जिला–राजसमन्द

चला आ रहा है तथा विपक्षीगण उक्त भुमि पर कभी भी नहीं आये और न ही उक्त पर उनका कभी भी कोई आधिपत्य या स्वामित्व ही रहा है। प्रार्थी द्वारा उक्त भुमि की वर्तमान जमाबंदी की नकल निकाली गई तो उसे पता चला कि उक्त भुमि विपक्षीगण के नाम पर राजस्व रेकर्ड में ही चलती आ रही है जिसे दुरूस्त करवाया जाना आवश्यक है तथा उक्त कृषि भुमियां विपक्षीगण के नाम पर दर्ज हो गई है उसे प्रार्थी के नाम पर घोषित करवाया जाना भी आवश्यक है। प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण को इस संबंध में कई बार निवेदन किया तो विपक्षीगण ने प्रार्थी को ऐलानिया धमकी दी है कि वे प्रार्थी के नाम पर उक्त कृषि भुमियां दर्ज नहीं करवायेंगें तथा उक्त कृषि भुमियों पर दर्ज नहीं करवायेगें तथा उक्त कृषि भुमियों पर जबरदस्ती कब्जा करके रहेगें इस कारण उनके विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना आवश्यक हो गया है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला होकर सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में विधमान है तथा विपक्षीगण यदि उक्त प्रकार से प्रार्थी की भुमि हथियाने और उसे भुमि से वंचित करने के लिए आमादा है जिससे दौराने प्रार्थना पत्र प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा तुरन्त ही जारी नहीं की गई तो प्रार्थी को ऐसी क्षति होगी कि जिनका अंकन रूपयों में संभव नहीं होगा उसे अनुपातनः अत्यधिक असुविधा होगी जबकि विपक्षीगण को कोई हानि नहीं होगी। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं किये जाने पर पक्षकारान् के मध्य अनावश्यक मुकदमेंबाजी बढेगी। अतः प्रार्थी के पक्ष में व विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना अनिवार्य हो गया है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर के प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित फरमाई जावें कि वादग्रस्त भुमि में प्रार्थी के स्वतंत्र उपयोग, उपभोग में विपक्षीगण किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करें, जबरदस्ती भुमि में प्रवेश नहीं करें और न ऐसा अपने किसी नौकर, एजेन्ट, परिवार के सदस्य या अन्य किसी से ही करवाये।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री सुभाष गाडरी द्वारा मूल वाद में वकालतनामा पेश कर जवाब हेतु अवसर चाहा गया। विपक्षी संख्या 4 बावजूद सुचना अनुपस्थित । रहने से कार्यवाही एक–तरफा करने के आदेश दिए जाकर। विपक्षी संख्या 4 के विरूद्व कार्यवाही एक–तरफा की गई। विपक्षी संख्या 5,6 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित। विपक्षी संख्या 5,6 द्वारा प्रस्तुत जवाब में पैरोकार सरकार द्वारा बिन्दु 1 से 7 प्रार्थी द्वारा स्वंय सिद्व करने हेतु निवेदन किया गया एवं बिन्दु संख्या 8 कानुनी है कि विपक्षीगण द्वारा विक्रय हेतु पंजीयन पत्र पेश करने पर विपक्षी संख्या 6 के विरूद्व रोक नहीं फरमावें चूंकि पंजीयन पर राज्य सरकार को आय होती है। विपक्षी संख्या 1 लगायत् 3 को पर्याप्त अवसर दिए गए बावजूद जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद किया जाकर पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

अधिवक्ता पक्षकारान् की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। विद्ववान अधिवक्ता पक्षकारान् की बहस पर गंभीरतापूर्वक चिंतन एवं मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से जाहिर आया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2065–68 राजस्व ग्राम सियोल, पटवार हल्का कालीवास, तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद के खातेदार केसा पिता जगटींग 1/2, धुला, मोडा, रोडा पिता सवा 1/2 हि.ब. के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जाहिर आया कि विपक्षीगण के पूर्वाधिकारी द्वारा उक्त भूमि सरदार खां पिता मेहताब खां को बेचान की गई। दौराने बहस विपक्षी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा आधिपत्य के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है इसलिए प्रार्थी का कोई आधिपत्य नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर आया उभयपक्ष के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है तो उभयपक्ष में मध्य अनावश्यक मुकदमेबाजी बढेगी एवं उपयोग–उपभोग को लेकर ओर कोई विवाद बढेगें। ऐसी स्थिति में उभयपक्ष को मूल वाद के निस्तारण तक कोई की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पांबद किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आदेश सुनाया जाता है:–

–: निर्णय :–

उभयपक्ष मूल वाद के निस्तारण तक राजस्व ग्राम सियोल, पटवार हल्का कालीवास, तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद में वर्णित आराजीयात् 136,140 कुल किता 2 कुल रकबा 0–10 के

सहायक कलक्टर
नाथद्वारा, जिला–राजसमन्द

वर्तमान मौके की यथास्थिति बनाए रखें। इस हेतु प्रार्थी एवं विपक्षीगण को पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर/नम्बर से कम की जाकर/ मूल वाद के साथ संलग्न की जावें।

सहायक कलक्टर नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द

(रक्षा पारिक, **RAS**)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट नाथद्वारा
सहायक कलक्टर
नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द